छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

संपदा प्रबंधन शाखा

// परिपत्र //

क्रमांक ...1.../2012 रायपुर दिनांक 7-1-2012

विषयः—छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कालोनी में खेल—कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु प्रावधान रखने बाबत्।

*****

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रदेश के सभी जिला ईकाईयों में रहवासी कालोनी विकसित की जा रही है। इन कालोनी में उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग श्रेणी के भवन निर्मित किये जाते है। शासन से अटल विहार योजना हेतु प्रदेश के विभिन्न शहरों में भू—खण्ड़ प्राप्त किये जा रहे है जिनमें सभी श्रेणी के भवन निर्मित किया जाना हैं।

प्रायः देखा गया हैं कि मण्डल के कालोनी हेतु नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अभिन्यास स्वीकृत होता है उस अभिन्यास में खुला क्षेत्र छोड़ा जाता है इन खुले क्षेत्रों में बाद में अतिक्रमण होने की संभावना बनी रहती है या फिर लोगो द्वारा धार्मिक संरचना विकसित/निर्मित किया जाता है। ऐसी स्थिति में सुनियोजित कालोनी के विकास की कल्पना साकार नहीं हो पाता है।

उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए भविष्य में निर्मित हो रहे कालोनी के लिए खेल—कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु समुचित प्रावधान रखा जाना होगा । इस हेतु मण्डल द्वारा कालोनी विकसित करते समय अभिन्यास बनाने की कार्यवाही के दौरान अभिन्यास में खेल—कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भू—खण्ड़ का प्रावधान सुनिश्चित कर अभिन्यास को ग्राम निवेश विभाग से स्वीकृति हेतु भेजा जावें।

कालोनी में स्थित ऐसे सुरक्षित किये गये भू—खण्ड़ में बास्केट बॉल, बेडमिंटन, बालीबॉल, टेबल टेनिस तथा टेनिस आदि खेल—कूद के ग्राण्उन्ड/कोर्ट तैयार कर खेल—कूद आयोजित किया जा सकें इन ग्राण्उडन्स को निम्नतम दर पर किराया पर भी उपलबध किया जा सकता है अथवा मान्यता प्राप्त खेल संघ को खेल—कूद गतिविधियों के संचालन हेतु दिया जा सकता है या फिर मण्डल इसे ऑफर के द्वारा विक्रय कर सकता है।

क्रमशः ...2

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रख कर भविष्य में विकसित हो रहे कालोनी/अटल विहार योजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे कालोनी में खेल—कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु अभिन्यास में भू—खण्ड़ का प्रावधान करने हेतु मण्डल के 34वॉं मण्डल सम्मिलन दिनांक 27.12.2011 में पद संख्या 36 पर संकल्प क्र0.953—36/34/12/2011 पारित किया गया है।

अतः भविष्य में विकसित हो रहे कालोनी/अटल विहार योजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे कालोनी में खेल—कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु अभिन्यास में भू—खण्ड़ का प्रावधान रखना सुनिश्चित करेगें।

मण्डल के आदेशानुसार

(सोनमणि बोरा)
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्र. 12 /आ.आ/स्था./12 रायपुर,दिनांक 7/1/2012

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव माननीय, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,रायपुर ।
2. निज सहायक आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,रायपुर ।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
5. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
6. उपायुक्त—I(योजना)/उपायुक्त—II (विकास)छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,मुख्यालय, रायपुर।
7. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,मुख्यालय,रायपुर ।
8. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,मुख्यालय,रायपुर ।
9. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,मुख्यालय,रायपुर ।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग —1/2/3/4 रायपुर/ राज0परि0संभाग—1/2 रायपुर/परि0सं0दुर्ग/दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/जगदलपुर/ रायगढ़/कोरबा ।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर